बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

:: आदेश ::

सं0सं0–9/आ०–03–03/2022(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–....................................

डॉ० बिरेन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उप–निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विरूद्ध AES/JE के बीमारी से बचाव, रोक–थाम एवं जागरूकता हेतु समीक्षात्मक बैठक में दिनांक–07.04.2022 को अनुपस्थित रहने एवं अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक–08.04.2022 को जिला भ्रमण कार्यक्रम में मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०–168(9) दिनांक–11.04.2022 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०–169(9) दिनांक–11.04.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक–529(9) दिनांक–06.07.2022 द्वारा डॉ० कुमार से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी। डॉ० कुमार द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं०–195(9) दिनांक–16.02.2023 द्वारा संचयी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित करते हुए निलंबन मुक्त किया गया।

2. डॉ० कुमार द्वारा उक्त अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति के विरूद्ध दिनांक–01.08.2023 को विभाग में पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। डॉ० कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश सं०–301(9) दिनांक–21.03.2025 द्वारा उनके पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।

3. डॉ० कुमार द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सं०–16914/2023 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका सं०–16914/2023 में दिनांक–23.09.2025 को पारित आदेश की कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

7. In the opinion of this Court, the aforesaid time i.e. 24 hours, granted to the petitioner to file his show cause reply is in complete violation of principles of natural justice and the CCA Rules. The petitioner should have been granted appropriate opportunity to file his show cause.

8. In view of the aforesaid discussions, this application is allowed.

9. Accordingly, the notification bearing memo No. 195(9) dated 16/02/2023 issued under signature of Joint Secretary, Health Department, Government of Bihar, Patna and the order bearing order No. 301(9) dated 21/03/2025 issued under signature of Under Secretary, Health Department, Bihar, Patna are hereby quashed.

4. महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के पत्रांक–GN-12122025100379 दिनांक–12.12.2025 के द्वारा डॉ० बिरेन्द्र कुमार, क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल के पक्ष में विभागीय अधिसूचना सं०–195(9) दिनांक–16.02.2023 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित दण्ड का पुनर्विलोकन विभाग स्तर से करते हुए संशोधित दण्डादेश की प्रति की माँग की गयी है। उक्त द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि "डॉ० कुमार का दिनांक–16.02.2023 को निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् न्यूनतम छः माह की अर्हक सेवा नही होने के कारण दिनांक–01.07.2023 का वेतन वृद्धि देय

(15)

नहीं है एवं इनका सेवानिवृत्ति की तिथि–30.09.2024 है। इस प्रकार विभागीय अधिसूचना सं०–195(9) दिनांक–16.02.2023 के आलोक में निर्गत दण्डादेश के आलोक में केवल एक वेतन वृद्धि ही दिनांक–01.07.2024 से प्रभावी होगी एवं दूसरी वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रभावी नहीं होगी। अतः उक्त परिस्थिति में डॉ० कुमार पर अधिरोपित एवं संसूचित दण्ड का आंशिक अनुपालन ही संभव है। अतः इस मामला में विभागीय मन्तव्य अपेक्षित है।

5. सक्षम प्राधिकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना के प्राप्त प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं०–195(9) दिनांक–16.02.2023 द्वारा डॉ० बिरेन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उप–निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विरूद्ध अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को निरस्त करने तथा निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि का भुगतान करने एवं उक्त अवधि को कर्त्तव्य अवधि माने जाने का विनिश्चय किया गया है।

6. अतएव डॉ० बिरेन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उप–निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं०–195(9) दिनांक–16.02.2023 द्वारा संचयी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को निरस्त करते हुए तथा निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि का भुगतान करने एवं उक्त अवधि को कर्त्तव्य अवधि माने जाने का निर्णय ससूचित किया जाता है।

7. उपुर्यक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव

Email

ज्ञापांकः–9/आ०–03–03/2022(स्वा0) .... **/पटना, दिनांकः–**.........................

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के पत्रांक–GN-121220251003379 दिनांक–12.12.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–03–03/2022(स्वा0) 696(9) **/पटना, दिनांकः–** 07.07.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर/मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी मुजफ्फरपुर/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० बिरेन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उप–निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर पत्राचार का पता–घोसरावॉ भवन, कच्ची रोड़, निगिहिन्डा, शेखपुरा–811105 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।